कमिश्नर, वाणिज्यकर

उत्तर प्रदेश, विभूति खण्ड, लखनऊ

संख्या-बी-4-नजारत अनुभाग-2020/387/1920095/वाणिज्य कर

दिनांक 18 मार्च 2020

परिपत्र

विषयः-वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय परिसर में कोरोना वायरस के दृष्टिगत सतर्कता प्रबन्ध।

वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिये समय-समय पर प्रकाशित सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुये वाणिज्य कर परिसर में कृपया निम्न कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करायी जायें:-

1- भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट URL:mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdfतथा उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सरकारी वेबसाइट www.dgmhup-covid19.in में वर्णित कोरोना के संक्रमण से बचने और उसके फैलाव को रोकने के बारे में वर्णित सुरक्षा उपायों से वाणिज्यकर के सभी अधिकारी / कर्मचारी कृपया भिज्ञ हो लें और सभी को इसके बचाव हेतु संवेदनशील भी करें।

2- वाणिज्यकर परिसर में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय के तहत"**क्याकरें**" और"**क्या न करें**" की एक सूची इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

3- कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के बारे में जो एडवाईजरी निर्गत की गयी है, उसके बारे में वाणिज्यकर के समस्त भवनों में बैनर लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

4- वाणिज्यकर के सभी अधिकारी/कर्मचारी जब भी प्रातःकाल कार्यालय में आयेंगे तो वह अनिवार्य रुप से कार्यालय के प्रसाधन-कक्षों में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुये अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि वाणिज्य कर के सभी भवनों के सभी प्रसाधन कक्षों में नित्य-प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप उपलब्ध रहे।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

5- वाणिज्यकर परिसर में अनावश्यक आगन्तुक के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाये। केवल उन्ही आगन्तुकों को वाणिज्य कर कार्यालय के परिसर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये जिनके बारे में वाणिज्यकर के अधिकारियों द्वारा आने की अनुमति प्रदान की गयी हो।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

6- वाणिज्यकर में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा जितने भी अन्य आगन्तुक कार्यालय में आयेंगे, उनके लिए वाणिज्यकर के प्रवेश-द्वारों के पास लिक्विड सोप से हाथ धुलाने की समुचित व्यवस्था करायी जाये। वाणिज्यकर कार्यालय परिसर के समस्त प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त मात्रा में

लिक्विड सोप और हाथ धोने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक प्रवेश द्वार के पास हाथ धोने के लिए वाश-बेसिन / वाश-बेसिन में जलापूर्ति / वाश-बेसिन से सुरक्षित जल निकासी की द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी और यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि वाणिज्यकर कर्मियों के अलावा जितने भी अन्य आगन्तुक वाणिज्यकर कार्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे, वह प्रवेश द्वार पर उपलब्ध हाथ धोने की व्यवस्था का प्रयोग करते हुये, हाथ धोने के उपरान्त ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

7- वाणिज्यकर कार्यालय परिसर में ऐसे सभी स्थान जहाँ पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैण्डल, आलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रुप से सैनिटाइज करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। यह दायित्व वाणिज्यकर प्रशासन अनुभाग को होगा जो कि अपने सेवाप्रदाता के माध्यम से इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

8- ऐसे कार्मिक जिनकी अवस्था अधिक है या गर्भवती महिला कर्मचारी या ऐसे कर्मी जो कि किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हों जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता हो, के द्वारा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे कर्मचारियों से विशेष अनुरोध कर लिया जाये कि वह स्वयं अपना अधिक ध्यान रखें और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें। ऐसे कार्मिकों को ऐसे स्थान पर कतई न रखा जाये, जहाँ पर अधिक जनसम्पर्क होता हो।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

9- यदि किसी कार्मिक को ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं और वह अपने आपको अलग-अलग रखने के उद्देश्य से अवकाश लेना चाहते हैं, तो उन्हें अवकाश अवश्य प्रदान कर दिया जाये।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

10- यदि वाणिज्य कर के किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित होने के कई लक्षण प्रथमदृष्टया परिलक्षित होते हैं तो वह अनिवार्य रुप से अपनी जांच स्वयं करा लें और बचाव की समुचित कार्यवाही स्वस्तर से करना सुनिश्चित करें। ऐसे कार्मिकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श हेतु उन्हें उचित चिकित्सालयों को सन्दर्भित करना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन))

11- वाणिज्यकर परिसर में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जो कर्मी कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कियाजाये।

12- वाणिज्यकर परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों को यह परामर्शित किया जाता है कि वह अनावश्यक रुप से समूह में एकत्रित न हों।

संलग्नक:-यथोपरि।

(सूर्यमणि लालचन्द)
प्रभार- कमिश्नर, वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपि : पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उ0 प्र0।

3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, लखनऊ।

4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उ0 प्र0।

5- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर उ0 प्र0।

(सूर्यमणि लालचन्द)
प्रभार- कमिश्नर, वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय:-

क्या करें:-

- निजी सफाई रखें तथा लोगों से दूरी बना कर रखें।
- कुछ समय के अन्तराल पर हाथ धोने की आदत डालें। यथा-आवश्यकता साबुन/एल्कोहल आधारित लिक्विड से हाथ धोयें या सैनिटाईजर से हाथ साफ कर लें। हाथों के साफ दिखने पर भी नियमित अन्तराल पर हाथ धोते रहें।
- खांसते/छींकते समय अपनी नाक व मुंह को रुमाल/टिश्यू पेपर से अवश्य ढंक लें। छींकते समय अपना मुंह कोहनियों के मध्य रखें तथा हथेलियों का प्रयोग न करें।
- खांसने/छींकने के बाद प्रयोग में आये हुये टिश्यू पेपर को बन्द ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें।
- लोगों से बातचीत के दौरान सुरक्षित दूरी अवश्य बनाये रखें। विशेषकर ऐसे लोगों से जिन में फ्लू जैस लक्षण परिलक्षित हो रहे हों।
- अपने शरीर का नियमित रुप से तापमान नोट करें तथा सांस लेने से सम्बन्धित लक्षणों पर भी ध्यान देते रहें। किसी प्रकार के बुखार/सांस लेने में परेशानी व खांसी की शिकायत होने पर तत्काल चिकित्सक का परामर्श लें और चिकित्सकीय परमर्शानुसार कार्यवाही करें। चिकित्सक से सम्पर्क करते समय अपना मुंह और नाक किसी मास्क या रुमाल से अवश्य ढंक कर रखें।

क्या न करें :-

- किसी से हाथ मिलायें।
- अगर आपके अन्दर बुखार या खांसी के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति से निकटतम सम्पर्क न बनायें।
- बिना हाथ धोये/सैनिटाईज किये हुये अपने नाक/मुंह/आंख को न छुयें।
- अपनी हथेलियों से ढंककर न छींके/खांसें।
- भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक जाने से बचें।
- प्रभावित स्थानों की अनावश्यक यात्राओं से बचें
- सामूहिक समूहों में बैठने वाले स्थानों पर भी जाने से बचें, जैसे कि कैन्टीन जाना, सामूहिक रुप से ग्रुप लंच आदि।
- जिम/क्लब/मनोरंजन स्थल या अन्य भीड़भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचें
- अनावश्यक अफवाह न फैलायें या पैनिक की स्थिति न उत्पन्न करें।